न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम
अलवर

अनवान ....कमला........ बनाम........राजेन्द्र........

किस्म मुकदमा........212........ मु0नं0........248........ सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.08.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 20.09.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 2688/301/0.3794 है0 वाके ग्राम कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 से प्रार्थिया को जब्रन बेदखल ना करे, ना कब्जा करे, ना निर्माण कार्य करे, ना ही प्रार्थिया के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
20-9	वास्ते RAD तलबी पत्रावली दिनांक 1/11/21 को पेश हो। [illegible] प्रार्थिया [illegible] अन्तरिम प्रार्थना पत्र 212 RT.Act [illegible] उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:01:26 IST
Reason: SelfAttested